



49



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सांकेट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

R 930/



R 5192-II/16

जनार्दन प्रसाद तिवारी तनय स्व० शंभू प्रसाद तिवारी उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि निवासी
ग्राम मिश्रगवां कोठर तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र० ---निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकृष्ण तनय हरिहर राम उम्र 54 वर्ष पेशा कृषि
2. दामोदर प्रसाद तनय रामकृष्णराम उम्र 37 वर्ष पेशा कृषि दोनों निवासी ग्राम
खैरहई तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र०
3. रामखेलावन तिवारी तनय शंभूराम तिवारी उम्र 77 वर्ष पेशा कृषि
4. श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री रामखेलावन तिवारी उम्र 74 वर्ष पेशा गृहकार्य
गैर निगरानीकर्ता 3 व 4 निवासी ग्राम मिश्रगवां कोठर तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म०प्र०
5. शासन म०प्र० जरिए जिलाध्यक्ष सीधी म०प्र० ---गैर निगरानीकर्तागण

श्री जे. ए. शर्मा
द्वारा आज दिनांक
प्रस्तुत किया गया।

एड
26-4-16
सैंडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व प्रकरण क्रमांक
67/अ-74/2001-02 जोकि न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी (राजस्व) गोपद बनास जिला सीधी म०प्र०
द्वारा दिनांक 31.03.2015 को रामकृष्ण बनाम
रामखेलावन वगैरह मे पारित किया गया।


निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-नि.5192-II/16

जिला-सीधी

जर्नादन प्रसाद/रामकृष्ण

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

m